न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **122 /21**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1–3 गणेश, श्रवण, सुखलाल पुत्र रामधन जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– महावीर पिता जगदीश जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
2– मिठू पिता उगमा जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
3– राधाकिशन पिता बालु जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
4– रामेश्वर पिता रामनाथ जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
5– शिवराज पिता बन्ना जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
6– भेरू पिता रामचन्द्र जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
7– भंवर लाल पिता सुखदेव जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
8– दशरथ पिता हरजी गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
9– सीताराम पिता सुखदेव जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अनिल कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **03/08/2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के **ग्राम बच्छखेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.42 है0, 1094 रकबा 0.28 है0, 1095 रकबा 0.67 है0, 4183/750 रकबा 0.78 है0, 4186/1093 रकबा 0.07 है0, 754 रकबा 0.18 है0, 755 रकबा 0.04 है0, 756 रकबा 0.48 है0** कुल **किता 8** रकबा **2.92** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 **1, 2 एवं 4 लगायत 9** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 **3** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थीगण** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **बच्छखेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **बच्छखेड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 4186/1093 रकबा 0.07 है0 किस्म गेमु. पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 7 रकबा 2.85 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 1500/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/08/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.